17/7/23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व स्वयं प्रार्थी को सांयकाल 6 Pm तक बार-बार आवाज लगाने के बावजूद कोई हाजीर अदालत नहीं आए। न ही प्रार्थी की ओर से पैरवी करने हेतु अन्य कोई हाजीर अदालत आए। अतः प्रा. पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, [illegible]पुर